



मलावट के खिलाफ नयिमों में संशोधन हेतु एफएसएसएआई का मसौदा

संदर्भ

हाल ही में खाद्य पदार्थों की नयिमक संस्था, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव हेतु एक मसौदे का प्रस्ताव पेश किया है। नए नयिमों एवं सफारिशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मलावट करता है तो इस अपराध के लिये 10 लाख के जुर्माने के साथ-साथ उमरकैद तक की सजा की सफारिश की गई है। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने 'खाद्य सुरक्षा और पोषण नधि' नरिमित किये जाने का भी सुझाव दिया है जिसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच इसका प्रचार और आउटरीच गतिविधियों का समर्थन करना है।

एफएसएसएआई की सफारिशें

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून को 2006 में पारित किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 2011 में जारी की गई। FSSAI ने खाद्य परिवर्तन और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु नमिनलखिति अनुशंसाएँ प्रस्तुत की हैं-
- अधिनियम की धारा 59 में एक नए खंड को जोड़ने की सफारिश की गई है, इसके अंतर्गत सात साल के कारावास का प्रावधान किया गया है जिससे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों और व्यवसायों पर 10 लाख रुपए के जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है जो जान-बूझकर खाद्य वस्तुओं में मलावट करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मलावट से किसी उपभोक्ता को कोई नुकसान हुआ है अथवा नहीं।
- इसके अंतर्गत मलावट किये जाने तथा मलावट से नुकसान होने की आशंका में भी आजीवन कारावास की सजा की सफारिश की गई है। यहाँ यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान समय में यदि खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मलावट से उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो ही उमरकैद का प्रावधान है, लेकिन इन प्रस्तावों पर सहमत बिनने के बाद मलावट की आशंका होने की स्थिति में भी उमरकैद का प्रावधान किया गया है।
- प्रस्तावित अन्य संशोधनों में राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों का गठन करने की बात भी कही गई है ताकि कानून का सही अर्थ में अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के काम में बाधा डालने या उन्हें परेशान करने अथवा उन पर हमला करने वालों के लिये सजा को बढ़ाकर न्यूनतम छह महीने व अधिकतम दो साल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ-साथ पाँच लाख रुपए जुर्माने का भी प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में न्यूनतम तीन महीने की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की व्यवस्था है।
- इसके अतिरिक्त, नरियात किये जाने वाले खाद्य पदार्थों को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में केवल वे खाद्य पदार्थ इस कानून के दायरे में शामिल होते हैं जिनकी बिक्री घरेलू बाजार में होती है अथवा जिनका आयात किया जाता है।
- इसके अलावा, खाने का सामान आयात करने वाली कंपनियों के संदर्भ में भी ज़िम्मेदारी तय की गई है जिससे कि किसी भी सामान में मलावट न हो। साथ ही, इस संबंध में किसी प्रकार की दुवधि से बचने के लिये उपभोक्ताओं की परभाषा में भी बदलाव किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, पशुओं के खाद्य पदार्थों को भी कानून के दायरे में लाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

(Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI)

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया।
- जसि 1 अगस्त, 2011 को केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक वनियम (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।
- एफएसएसएआई मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षा व व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा, यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।

